राष्ट्रीय शिक्षा सभा

एच के एस भवन, नई दिल्ली, अप्रैल 30, 2023

माँग पत्र

(सहायक संस्थाओं की प्रविष्टियों पर आधारित)

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एनईपी के तहत औपचारिक शिक्षा के साथ ईसीसीई का पिछले दरवाज़े से किया जा रहा एकीकरण बच्चों के हितों के खिलाफ है। 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ईसीसीई उन्नत आंगनवाड़ियों में ही सबसे अच्छा किया जाता है, जहां सभी बाधाओं के बावजूद शारीरिक और मानसिक विकास सहित समग्र विकास पहले से ही किया जा रहा है। बालवाटिका/नर्सरी/एलकेजी/यूकेजी को स्कूलों में नहीं खोला जाना चाहिए जैसा कि कई राज्यों में किया जा रहा है, जिससे निजी, व्यवसायिक प्री-स्कूल/नर्सरी को बढ़ावा मिलेगा। ईसीसीई को क्रेच सुविधाओं और अन्य उचित बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम और पर्याप्त प्रशिक्षण, पेशेवर योग्यता, नियमितीकरण और मौजूदा आंगनवाड़ी कर्मियों के उचित वेतन के साथ अतिरिक्त मानव संसाधन के साथ एक मजबूत पड़ोस-आधारित आंगनवाड़ी प्रणाली की आवश्यकता है।

2. मौजूदा ईसीसीई नीति 2013 को मज़बूत किया जाना चाहिए और उचित नियमों के साथ एक नया ईसीसीई का अधिकार अधिनियमित किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य/नोडल संस्था आंगनवाड़ी केंद्र हो।

3. निजीकरण के छिपे हुए एजेंडे के साथ बच्चों के पोषण के लिए किए जा रहे विभिन्न नए सुझावों और नर्सरी स्कूलों में तथाकथित "परोपकारी" भागीदारी को, जैसा कि कुछ राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है, वापस लिया जाना चाहिए। इसके बजाय, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजनाओं को मज़बूत किया जाना चाहिए। आईसीडीएस के किसी भी घटक का निजीकरण नहीं होना चाहिए

4. प्री-स्कूल/या नर्सरी कक्षाएं सरकारी स्कूलों में नहीं लगाई जानी चाहिए।

स्कूल

5. एनईपी के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने या उनके विलय पर तुरंत और पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए ।

6. निजीकरण और सरकारी स्कूलों को निजी या परोपकारी प्रबंधन को सौंपने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बजाय, सभी सरकारी स्कूलों को अच्छे बुनियादी ढाँचे, पर्याप्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अच्छे शिक्षक-छात्र अनुपात के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। सभी तदर्थ/अनौपचारिक (Adhoc) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, और सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। स्कूलों में सार्वजनिक शिक्षा के लिए बजट का विस्तार किया जाना चाहिए।

7. पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सभी छात्रवृत्ति, जैसे मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति और राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप को भी बहाल किया जाना चाहिए। परोपकारी या निजी वित्त पोषण की कथित अपेक्षा में छात्रवृत्ति और फैलोशिप को कम नहीं करना चाहिए। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि इस तरह की सभी अनुदान समर्थन में कमी विशेष रूप से लड़कियों को प्रभावित करती है।

8. पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का केंद्रीकरण बंद किया जाए। केंद्रीकृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को थोपना बंद किया जाना चाहिए और इसके बजाय, एनसीएफ को राज्यों को अपना पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य बोर्डों की प्रधानता बहाल की जानी चाहिए।

9. केंद्रीयकृत परीक्षाओं, विशेषकर कक्षा 3, 5, 8, 10 के बाद होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं, की व्यवस्था को वापस लिया जाना चाहिए।

10. पूर्व-प्राथमिक से लेकर 10+2 तक के सभी छात्रों को नाश्ता और मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए और इसके लिए भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए। मध्याह्न भोजन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन का प्रावधान किया जाए ताकि शिक्षकों पर बोझ न पड़े। मध्याह्न भोजन कर्मियों और शिक्षा प्रणाली में कार्यरत अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वैधानिक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रदान करने वाले नियमित कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए।

11. एनईपी में शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों का प्रावधान शिक्षकों को प्रासंगिक पाठ्यचर्या को डिजाइन करने से और पृथक करता है, जैसा कि न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने आगाह किया है। एनईपी निजी खिलाड़ियों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के अधिग्रहण की भी उपेक्षा करता है। एनईपी के तहत पुनर्गठित बीए/बीएससी शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री प्रतिगामी है क्योंकि यह कई विषयों को पढ़ा पाने के समग्र प्रशिक्षण के बजाय विशेषज्ञता थोपता है, जो कि सही मायने में मास्टर डिग्री में हासिल होना चाहिए।

12. एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के तथाकथित "युक्तिकरण" को वापस लिया जाना चाहिए और पहले की पाठ्य पुस्तकों को बहाल किया जाना चाहिए। अन्य सभी भारतीय संस्कृतियों को छोड़कर, केवल "वैदिक-सांस्कृतिक" के रूप में भारतीय संस्कृति का चित्रण, और गैर-हिंदू धर्मों, परंपराओं और जातीयताओं के योगदान को अनदेखा करना, को बंद किया जाना चाहिए। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य ज्ञान की वास्तविक, महत्वपूर्ण और कई अग्रणी उपलब्धियों को पहचानते हुए, सदियों से सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान के माध्यम से गैर-भारतीय सभ्यताओं के योगदान को भी उचित मान्यता दी जानी चाहिए। सभी बहिष्करण वाले "हिंदू-कृत" पाठ्यक्रम और अध्याय वापस लिए जाने चाहिए और धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सामग्री को बहाल किया जाना चाहिए।

13. आरटीई को उसकी सच्ची भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए और इसका दायरा 12वीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न उच्च शिक्षा या व्यावसायिक धाराओं में जाने से पहले सभी बच्चों को पूरे 12 साल की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

14. स्कूल सुरक्षा ढांचे को, जिसमें यौन उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ सुरक्षा शामिल है, बुनियादी ढांचे और अन्य मानदंडों के साथ, और जिसमें माता-पिता-शिक्षक संघ मुख्य/नोडल निकाय के रूप में हों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के नियमावली के अनुसार उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। एनईपी के तहत SARTHAQ दिशानिर्देश इन प्रावधानों के विरुद्ध हैं।

15. कक्षा 11-12 या उससे पहले के वैकल्पिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बुनियादी के तौर पर और छात्रों के लिए उनकी प्रतिभा और योग्यता का पता लगाने के लिए माना जाना चाहिए, न कि रोजगार की तैयारी के रूप में ताकि ड्रॉप-आउट को प्रोत्साहित न किया जा सके।

16. उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जैसा कि अधिकांश विकसित देशों और तुलनीय विकासशील और पूर्व / दक्षिण पूर्व एशिया में मध्यम आय वाले देशों में प्रथा है। व्यावसायिक शिक्षा को उपयुक्त संस्थागत परिवेष में प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें कुछ काम के दौरान प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता शामिल हैं, और उसे उपयुक्त रूप से बनाए मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए, जिनमें सैद्धांतिक ज्ञान और कौशल का संयोजन हो ताकि व्यक्ति के करियर के सभी चरणों में दोनों पैमानों पर निरंतर उन्नयन हो सके।

साक्षरता और सतत शिक्षा

17. एनईपी और संबद्ध उपायों के माध्यम से, वर्तमान सरकार ने साक्षरता, वयस्क और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य संसाधन केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा विभाग आदि जैसे सभी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को नष्ट कर दिया है, जिनमें कई दशकों से पर्याप्त अनुभव, शैक्षणिक कौशल और सामग्री विकसित की गई थी। स्वैच्छिक- और अभियान-आधारित साक्षरता आंदोलन के विशाल अनुभव को अनदेखा करते हुए, सरकार ने शुरू में एक छात्र-आधारित प्रणाली का सुझाव दिया और अब, एनईपी के तहत, विद्यालय शिक्षा की ऊपर वर्णित सभी परिचारक समस्याओं और असमानताओं के साथ एक ऑनलाइन प्रणाली के साथ जाने का विकल्प चुना है।

18. कौशल-आधारित और अन्य आजीवन शिक्षा के लिए, एनईपी अन्य विभागों के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव करती है, जिससे ज़िम्मेदारी से बचा जा सके या उसे टाला जा सके। साक्षरता, प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए पहले से स्थापित विशिष्ट और समर्पित ढांचों और पद्धतियों को शिक्षा व्यवस्था के भीतर बहाल किया जाना चाहिए और शत-प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि के लिए शेष कार्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और पूरा किया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा

19. कॉलेजों को एक समूह में मिलाकर या स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में उन्नत करके केवल कैंपस-आधारित विश्वविद्यालयों के जबरन निर्माण को वापस लिया जाना चाहिए। स्टैंड-अलोन या सिंगल-स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में जबरन रूपांतरण को भी रोका जाना चाहिए। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बजाय धीरे-धीरे अन्य विषयों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

20. मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, की व्यवस्था को ध्वस्त करना बंद किया जाना चाहिए।

21. प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) का उपयोग राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के भीतर शिक्षण और अनुसंधान के कार्यक्रमों को मज़बूत करने के लिए किया जाना चाहिए। अनुसंधान में बहुलवाद और विविधता की रक्षा की जानी चाहिए, और अनुसंधान के लिए ऊपर से विषयों को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

22. केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान) के तहत उपलब्ध धनराशि राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए ताकि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (आईआईएसईआर, प्रतिष्ठित संस्थान आदि सहित) के सहयोग के लिए राज्य अपने स्वयं के कार्यक्रमों का निर्माण शिक्षण और अनुसंधान के लिए बिना किसी दिक़्क़त के कर सकें।

23. देश में अगले पांच वर्षों में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6%-10% के लक्षित सार्वजनिक व्यय को प्राप्त करने के लिए बड़े कॉर्पोरेट मुनाफे और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) पर एक विशेष शिक्षा उपकर लगाने की सिफारिश की गई है। राज्यों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के इस उपकर का उचित हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए। इस धन का उपयोग राज्यों द्वारा छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रदान करने और आवश्यकतानुसार संकाय नियुक्तियों के लिए किया जा सकता है।

24. अनुसंधान विश्वविद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों की त्रिस्तरीय प्रणाली को हटाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनुसंधान और आउटरीच कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों को उपयुक्त रूप से आपस में जोड़ा जाना चाहिए।

25. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईआई), जिसे एनईपी में एक शिक्षा नियामक के रूप में देखा गया है, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके बजाय, पहले के यूजीसी को यूजीसी अधिनियम के तहत अपना अनिवार्य कार्य करना चाहिए, अर्थात यूजीसी को "विश्वविद्यालयों या अन्य संबंधित निकायों के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए ऐसे सभी कदम जो वह उचित समझे उठाने चाहिए"।

26. सभी प्रकार की परीक्षाओं को अनावश्यक रूप से केंद्रीकृत करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ-साथ सीयूईटी और नीट परीक्षाओं को भी समाप्त कर देना चाहिए। आपसी मान्यता और समकक्षता की अंतर-राज्य प्रणाली के माध्यम से प्रवेश के नियमन के लिए एक सामान्य ढांचे की आवश्यकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) क्रेडिट का हिस्सा घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को एबीसी और सीसीएफयूपी (अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क) को फिर से डिजाइन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार केवल विशिष्ट मामलों में राष्ट्रीय परीक्षण जारी रख सकती है, हालांकि इतने दशकों के अनुभव के बाद इनकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसमें कोचिंग सेंटरों के एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का उदय और अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो अमीर ग़रीब के बीच असमानता को बढ़ा रहे हैं और छात्रों पर भारी दबाव डाल रहे हैं जिसके कई अवांछनीय परिणाम सामने हैं।

27. चार साल के अंडर-ग्रेजुएट कोर्स से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। पूरे 3 साल पूरे होने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विभिन्न व्यावसायिक-उन्मुख विषयों के लिए कुछ अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम विशेष रूप से बनाए जा सकते हैं।

28. उच्च शिक्षा में बढ़ते लैंगिक अंतर को तत्काल रोका जाना चाहिए। लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा पर सभी योजनाओं, विशेष रूप से छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री के लिए सहायता आदि के संबंध में इस आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। विशाखा फ़ैसले के दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक संवेदीकरण समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

29. छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच शिक्षा के सभी चरणों और स्तरों पर LGBTQIA+ व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

30. प्रवेश स्तर पर विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों के लिए पीएच.डी. अनिवार्य नहीं होना चाहिए। एमफिल की डिग्री बंद नहीं होनी चाहिए।

31. उच्च शिक्षा के संचालन के लिए सभी समितियों में पर्याप्त महिला, दलित और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व सहित निर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों में संघ बनाने का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शासन संरचनाओं के लोकतंत्रीकरण के साथ-साथ संबंधित विश्वविद्यालयों के वैधानिक निकायों द्वारा स्वतंत्र खोज समितियों के माध्यम से कुलपतियों के चयन के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

32. उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति का सख्त और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में

भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी विकलांग छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए पूर्ण पहुँच और सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

33. हालांकि यह माँग एनईपी से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन योजना को वापस लेने की मांग में सब एकमत हैं।

34. अंत में, प्रतिगामी और गैर-समावेशी एनईपी को वापस लिया जाना चाहिए और खारिज करना चाहिए।